[2025] 8 एस.सी.आर. 1464 : 2025 आईएनएससी 1013

नीलम कुमारी

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 582/2013)

20 अगस्त 2025

[प्रशांत कुमार मिश्रा* और
ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु†

साक्ष्य - न्यायेतर इक़रार - इनके आधार पर दोषसिद्धि - कब उचित नहीं –अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या के अपराध हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया जो कि कथित रूप से उसके द्वारा अपने पति (पीडब्लू-1), वार्ड सदस्य (पीडब्लू-3), प्रधान (पीडब्लू-4) तथा पीडब्लू-5 के समक्ष किए गए न्यायेतर इक़रार पर आधारित थी तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि एवं दण्ड को बरकरार रखा- इस स्थिति मैं हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता।

यह प्रतिपादित किया गया कि: न्यायेतर इक़रार अत्यन्त दुर्बल प्रकार का साक्ष्य होता है तथा इसे अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है- वर्तमान वाद में कथित न्यायेतर इक़रार-क़बूल गंभीर त्रुटियों एवं अविश्वसनीयताओं से ग्रस्त है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता- अभियोजन, अपीलकर्ता द्वारा अपने ही शिशु की हत्या करने हेतु कोई ठोस अथवा विश्वासयोग्य उद्देश्य सिद्ध करने में पूर्णत: असफल रहा है- परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी ऐसी पूर्ण एवं अखण्ड श्रृंखला स्थापित नहीं करते, जो निश्चित रूप से अपीलकर्ता के दोष की ओर इंगित करे- अपीलकर्ता का दोष संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है- अतएव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं- अपीलकर्ता को आरोपों से मुक्त कर बरी किया जाता है। [पैरा 11, 22-24]

---

*लेखक

साक्ष्य-उद्देश्य (मोटिव)- प्रासंगिकता– अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था – किंतु अभियोजन द्वारा उद्देश्य (मोटिव) सिद्ध नहीं किया जा सका :

प्रतिपादित किया गया कि: अभियोजन के वाद की विश्वसनीयता सिद्ध करने में उद्देश्य (मोटिव) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है- यद्यपि केवल दुर्बल या अनुपस्थित उद्देश्य के आधार पर अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता, यदि अन्य परिस्थितियाँ उसकी दोषसिद्धि की ओर स्पष्ट एवं अखण्ड श्रृंखला बनाती हों, तथापि उद्देश्य का अभाव अभियुक्त के पक्ष में महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है-यह सुझाव कि अपीलकर्ता ने अपने शिशु की हत्या इसलिए की क्योंकि उसका पति हाल ही में दिवंगत अपने पिता के अंतिम संस्कार हेतु गाँव गया था, तार्किक नहीं है, विशेषकर जब यह तथ्य है कि अपीलकर्ता स्वयं अपने पति तथा शिशु के साथ उसी गाँव गई थी- इसके अतिरिक्त, इतना चरम कदम एक शिशु की माँ के प्राकृतिक मातृत्व-स्वभाव के पूर्णतः प्रतिकूल है- अतिरिक्त रूप से, यदि अपीलकर्ता ने वास्तव में अपने ही शिशु की हत्या की होती, तो उसके बाद का उसका व्यवहार दोषसिद्धि से मेल नहीं खाता- यह समझना कठिन है कि वह इतनी कठोर हो सकती थी कि अपने ही शिशु का गला घोंट दे, परन्तु शीघ्र ही उसके लिए चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने हेतु भाग-दौड़ भी करे- अभियोजन अपीलकर्ता द्वारा अपने ही शिशु की हत्या करने हेतु कोई भी ठोस एवं विश्वासयोग्य उद्देश्य स्थापित करने में सर्वथा विफल रहा है। [पैरा 20, 21]

साक्ष्य - कथित हत्या के औज़ार - बरामदगी तथा उसके साथ किया गया व्यवहार - संदेहास्पद –अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था-अभियोजन का कथन यह था कि कथित हत्या का औज़ार (हरा दुपट्टा) अपीलकर्ता से बरामद किया गया था – परन्तु अपीलकर्ता ने इस कथित बरामदगी का स्पष्ट रूप से खण्डन किया।

प्रतिपादित किया गया कि– दुपट्टे को पोस्टमार्टम कराने वाले चिकित्सक को कभी नहीं दिखाया गया, जिससे साक्ष्यों की श्रृंखला में मूलभूत विसंगति उत्पन्न हो गई- इसके अतिरिक्त, यद्यपि फोरेंसिक परीक्षण में कथित रूप से दुपट्टे पर रक्त के दाग और मानव त्वचा के ऊतक पाए गए, परंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि ये ऊतक मृतक शिशु के ही थे- अतः दुपट्टे पर उनका होना अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता- सामान्य उपयोग की वस्त्र सामग्री में विभिन्न जैविक पदार्थ हो सकते हैं, और बिना विशिष्ट पहचान के, ऐसा साक्ष्य अधिकतम अस्पष्ट ही रहता है- साथ ही यह

निष्कर्ष कि मृत्यु का कारण "गला घोंटने के कारण हो सकता है" भी केवल अनुमानित है।[पैरा 18, 19]

साक्ष्य - प्रासंगिक साक्षी - साक्षी को प्रस्तुत न करने का प्रभाव - अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना -अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था, जो उसके द्वारा की गई कथित न्यायालय-बाह्य स्वीकारोक्तियों पर आधारित था - उन स्वीकारोक्तियों की कथित रूप से गैर-रुचि रखने वाली एक महिला साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया :

प्रतिपादित किया गया: यद्यपि अभियोजन को प्रत्येक संभावित साक्षी का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है, तथापि सत्यापन हेतु जिन साक्षियों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है, उन्हें न्यायालय के समक्ष लाना अभियोजन का कर्तव्य है - बिना उपयुक्त स्पष्टीकरण के ऐसे आवश्यक साक्षियों को प्रस्तुत न करना, अभियोजन के सम्पूर्ण प्रकरण पर संदेह उत्पन्न करता है। [अनुच्छेद 13]

उद्धृत केस कानून

सहदेवन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, **2012 आईएनएससी 209 : [2012] 4 एससीआर 366;** चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश), **2022 आईएनएससी629 : [2022] 3 एससीआर 366;** गौरव मैनी बनाम हरियाणा राज्य, **2024 आईएनएससी 488 : [2024] 7 एससीआर 333**; शरद बिरधी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, **1984 आईएनएससी 121 : [1985] 1एससीआर 88**; अनवर अली एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, **2020 आईएनएससी 563 : [2020] 9 एससीआर 878 - पर भरोसा किया गया।**

एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, **2011 आईएनएससी 415 : [2011] 8 एससीआर 83;** पांचो बनाम हरियाणा राज्य, **2011 आईएनएससी 773 : [2011] 12एससीआर 1173;** जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य, **2012 आईएनएससी 296 : [2012] 7 एससीआर 91;** हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, **1952 आईएनएससी 41 : [1952] 1 एससीआर 1091- को संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

न्यायालय- बाह्य स्वीकारोक्ति; शिशु पुत्र की हत्या; शिशु बालक; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; पाँच स्वर्णिम सिद्धांत; साक्ष्यों की पूर्ण शृंखला का अभाव; गला घोंटना; श्वासरोध; गला दबाना; संदेह से परे दोष सिद्ध न होना; उद्देश्य (मकसद); दुर्बल उद्देश्य; उद्देश्य का अभाव;

उद्देश्य सिद्ध न होना; निर्मम कृत्य; शिशु की माता का स्वाभाविक मातृत्व भाव; पश्चात आचरण; वैकल्पिक व्याख्या; कथित हत्या का हथियार; दुपट्टा; प्रासंगिक साक्षी; गैर-रुचि रखने वाला साक्षी; प्रासंगिक साक्षी का परीक्षण न किया जाना; अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष; दोषमुक्ति।

मामला किससे उत्पन्न हुआ

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 582/2013, में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,शिमला के सीआरएलए संख्या 446/2007 में 11.12.2009 के निर्णय और आदेश से

दलों के लिए उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता
विवेक शर्मा।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ताः
मुहम्मद अली खान, उमर होदा, सुश्री ईशा बक्शी, कामरान खान, अर्जुन शर्मा, सुश्री जयन्ती सिंह, सुश्री गुरबानी भाटिया, अभिषेक जेबराज।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

फैसला

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.

1. यह फौजदारी अपील दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दण्ड को यथावत् बनाए रखा गया है। अपीलकर्ता को अपने शिशु पुत्र की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860[1] की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता एवं अपीलकर्ता के पति निक्कू राम (पीडब्लू-1) का विवाह वर्ष 1982 में निर्मला देवी से हुआ था। उक्त वैवाहिक संबंध से कोई संतान उत्पन्न न होने के कारण, वर्ष 2004 में निर्मला देवी की सहमति से निक्कू राम ने अपीलकर्ता से विवाह किया और गाँव नन्द स्थित नव-निर्मित घर में उसके साथ रहने लगा। तथापि, निक्कू राम ने अपनी प्रथम पत्नी निर्मला देवी के लिए अपने पैतृक गाँव कटली में पृथक आवास की व्यवस्था की।

3. वर्ष 2005 में अपीलकर्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपीलकर्ता कभी भी पैतृक गाँव कटली नहीं गई और वह अपने पति को भी उस गाँव जाने से रोकती थी। अपीलकर्ता

निक्कू राम को यह धमकी देती थी कि यदि उसे गाँव कटली जाने के लिए बाध्य किया गया, तो वह अपने पुत्र की हत्या कर देगी।

4. 3 दिसंबर, 2006 को निक्कू राम के पिताका निधन हो गया, परन्तु अपीलकर्ता शोक व्यक्त करने हेतु गाँव कटली नहीं गई। वह केवल 8 दिसंबर, 2006 को अपने शिशु पुत्र के साथ गाँव कटली गई। तथापि, वह उसी दिन अपने पति तथा शिशु पुत्र के साथ गाँव नन्द लौट आई। इसके उपरान्त, निक्कू राम अपने भाई के साथ अपने पिता के पश्चात् कर्मकाण्ड हेतु कुछ राशन-सामग्री खरीदने बाज़ार चला गया, और अपीलकर्ता तथा बच्चे को गाँव नन्द स्थित घर में छोड़ गया। लगभग रात्रि 08:30 बजे जब निक्कू राम गाँव नन्द स्थित अपने घर लौटा, तो उसने अपनी पत्नी और बच्चे को वहाँ नहीं पाया। उसने अपने किरायेदार डॉ. संदीश गुलेरिया (पीडब्लू-2) से उनके बारे में पूछताछ की। तत्पश्चात्, वह गाँव कटली गया और वहीं रात को ठहरा। 9 दिसम्बर, 2006 को प्रातः 07:30 बजे अपीलकर्ता का फोन निक्कू राम को प्राप्त हुआ, जिसमेंउसने उसके ठिकाने के विषय में पूछा। उसी समय एक राम पाल ने निक्कू राम को सूचित किया कि उसे तुरंत गाँव नन्द पहुँचना चाहिए क्योंकि उसका पुत्र बीमार है। इसके बाद वह गाँव नन्द पहुँचा और अपने पुत्र को खाट पर पड़ा पाया। निक्कू राम के किरायेदार डॉ. संदीश गुलेरिया (पीडब्लू-2) ने बच्चे की जाँच की और निक्कू राम को तुरंत नालागढ़ स्थित अस्पताल ले जाने को कहा, क्योंकि बच्चे के गला दबाए जाने की आशंका प्रतीत हो रही थी। बच्चे की गर्दन पर गोलाकार निशान पाया गया था जो नीला पड़ चुका था। बच्चे को नालागढ़ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत अवस्था में लाया गया घोषित किया।

5. निक्कू राम के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बच्चे के शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. सुनीता सूद (पीडब्लू-10) ने शव की जांच करने पर बाईं ओर नाखून के निशान और गर्दन के चारों ओर पीठ तक फैले बंधन के निशान पाए। फेफड़े, हृदय तथा रक्त-वाहिकाएँ अत्यधिक भरे हुए पाई गईं। उदर की सामग्री द्रव अवस्था में थी। चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण श्वासरोध था। डॉक्टर ने पुष्टि की कि मृत्यु गला दबाकर की गई थी।डॉ. सुनीता सूद (पीडब्लू-10) ने यह बयान दिया कि बच्चे की गर्दन पर पाए गए बाँधने के निशान किसी दुपट्टे से डाले गए दबाव के कारण उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप श्वासरोध हुआ और गला दबाने से मृत्यु हुई।

6. अपीलकर्ता द्वारा अपने पुत्र की हत्या स्वीकार करने वाली न्यायालय-बाह्य स्वीकारोक्ति

कथित रूप से अलग-अलग की गई–एक निक्कू राम (पीडब्लू-1) और उमरावती (पीडब्लू-5) के समक्ष, तथा दूसरी भगवती (पीडब्लू-4), ग्राम पंचायत नन्द की प्रधान के समक्ष, कृष्ण लाल (पीडब्लू-3) की उपस्थिति में। तथापि, अपीलकर्ता ने दोषी होने से इनकार किया।

7. अपीलकर्ता से पूछताछ की गई। अपनी पूछताछ के दौरान उसने एक हरा दुपट्टा प्रस्तुत किया, जिसका कथित रूप से अपराध की क्रिया में प्रयोग किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, दुपट्टे पर रक्त और मानव त्वचा के ऊतक पाए गए।

8. अपीलकर्ता का कथन यह है कि सिवाय अपने ससुर के, उसके पति के परिवार में किसी को भी वह पसंद नहीं थी। निक्कू राम की प्रथम पत्नी निर्मला देवी उसे धमकी देती थी कि यदि वह अपने पति को न छोड़ती है, तो वह उसके पुत्र की हत्या कर देगी। अपीलकर्ता के अनुसार, 8 दिसम्बर, 2006 को उसने गाँव कटली में एक रात बिताई। उसने अपने पुत्र को निर्मला देवी के बिस्तर पर रखा और स्वयं फर्श पर सोई। जब वह सुबह जागी, तो उसने अपने पुत्र को बेहोश और असंवेदनशील पाया। उसने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। बच्चे की जाँच के बाद डॉक्टर ने उसे नालागढ़ अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जब वह डॉक्टर के कक्ष से बाहर आई, तो उसका पति निक्कू राम वहाँ पहुँच चुका था, और दोनों ने बच्चे को नालागढ़ अस्पताल ले जाकर दाखिल किया।तथापि, निक्कू राम ने अपीलकर्ता के कथन का खंडन किया। निक्कू राम के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता ने गाँव कटली में कभी भी रहकर रात नहीं बिताई और वास्तव में वह गाँव नन्द से 01 किलोमीटर दूर स्थित गाँव कारलटा में ठहरी थी।

9. विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और 20 जुलाई, 2007*के* निर्णय एवं आदेश द्वारा उसेआजीवन कारावास की सजा दी। अपीलकर्ता द्वारा अपनी दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध दायर अपील उच्च न्यायालय द्वारा 11 दिसम्बर, 2009 के निर्णय एवं आदेशके माध्यम से खारिज कर दी गई। अतः, यह अपील दायर की गई।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

10. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि काफी हद तक उसके पति निक्कू राम (पीडब्लू-1), वार्ड सदस्य कृष्ण लाल (पीडब्लू-3), प्रधान भगवती देवी (पीडब्लू-4) और उमरावती (पीडब्लू-5) को दिए गए कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है।

11. यह तय किया गया कानून है कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को आम तौर पर कमजोर साक्ष्य माना जाता है और इसकी पुष्टि अन्य, स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा की जानी

चाहिए। **सहदेवन और अन्न बनाम तमिलनाडु राज्य**[2] में इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत कियाः

> "12. ...यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में, अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह घटनाओं की पूर्ण शृंखला प्रमाणित करे, जो निस्संदेह आरोपी के दोष की ओर इशारा करती हो। अतिरिक्त रूप से, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में, जहाँ अभियोजन न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है, वहाँ न्यायालय को इसे अधिक सतर्कता और सावधानी के साथ परखना आवश्यक होता है। फौजदारी विधि के स्थिर सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति कमजोर प्रकार का साक्ष्य होती है। जहाँ भी न्यायालय, पूरे अभियोजन साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने के उपरांत, न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि करने का इरादा रखता है, वहाँ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह स्वीकारोक्ति विश्वास उत्पन्न करे और अन्य अभियोजन साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो। यदि न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ या स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होने वाली बातें पाई जाती हैं, और यह अभियोजन के कथन के अनुसार ठोस प्रतीत नहीं होती, तो ऐसे स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि आधारित करना न्यायालय के लिए कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय पूरी तरह से न्यायसंगत रूप से इस प्रकार के साक्ष्य को विचार से बाहर रख सकता है।"

12. इस कानूनी स्थिति का पालन इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में किया गया है, जिनमें **एस. के. युसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[3], **पंचो बनाम हरियाणा राज्य**[4], और **जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य**[5] शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने **चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (पूर्व में मध्य प्रदेश)**[6] में विशेष रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया था:

> "11. ...तथापि, इस न्यायालय ने निरंतर यह स्थापित किया है कि न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति कमजोर प्रकार का साक्ष्य होती है और जब तक यह विश्वास उत्पन्न न करे या किसी अन्य निर्णायक प्रकार के साक्ष्य द्वारा पूरी तरह समर्थित न हो, सामान्यतः हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि केवल न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्ति के आधार पर नहीं की जानी चाहिए।..."

13. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[7] की धारा 313 के अंतर्गत पूछताछ के दौरान, उसने न्यायालय-बाहय स्वीकारोक्तियों का खंडन किया और उक्त बयान में उसने एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत की। उसने कहा कि जब

उसने सुबह अपने बच्चे को बेसुध पाया,तो वह रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर दो महिलाएं आईं और पूछताछ की। महिलाओं में से एक, सीता देवी, जो कथित रूप से न्यायेतर कबूलनामे की गैर-रुचि वाली गवाह थी, से अभियोजन पक्ष ने कभी पूछताछ नहीं की। हालांकि अभियोजन पक्ष को हर संभव गवाह से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सच्चाई को साबित करने के लिए आवश्यक गवाहों को अदालत के सामने पेश किया जाए। पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना ऐसा करने में विफलता, अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकती है जैसा कि इस अदालत ने **गौरव मैनी बनाम हरियाणा राज्य**[8] के मामले में कहा था कि मुकदमे में एक प्रासंगिक गवाह की जांच न करना अदालत को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए राजी करता है।

14. इन कथित स्वीकारोक्तियों के अतिरिक्त, अभियोजन का मामला मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए पाँच 'स्वर्णिम सिद्धांत' स्थापित हुए हैं, जो **हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[9] में उत्पन्न हुए और **शरद बिर्धीचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[10] में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए, अर्थात्:

(ए) जिस परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ "अवश्य" या "होनी चाहिए" स्थापित होनी चाहिए, न कि केवल "हो सकती हैं"।

(बी) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(सी) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(डी) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और

(इ) साक्ष्यों की ऐसी शृंखला होनी चाहिए जो पूर्ण हो और किसी भी तार्किक आधार को न छोड़े, जो आरोपी की निर्दोषता के पक्ष में निष्कर्ष निकालने योग्य हो, तथा यह प्रदर्शित करे कि सभी मानवीय संभावना के अनुसार यह कृत्य केवल आरोपी द्वारा ही किया गया हो सकता है।

15. सर्वप्रथम, हम यह नोट करते हैं कि सबसे संवेदनशील अवधि के दौरान अपीलकर्ता का ठिकाना निर्णायक रूप से स्थापित नहीं है। उसके पति निक्कू राम (पीडब्लू-1)के

अनुसार, 8 दिसम्बर, 2006 को अपीलकर्ता उनके साथ गाँव कटली से गाँव नन्द लौटी। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि जब वे उसी दिन रात करीब साढ़े आठ बजे कैंची मोड़ से लौटे तो उन्हें अपीलकर्ता और बच्चा गांव *नंद में* उनके घर पर नहीं मिले और अपीलकर्ता ने अगली सुबह उन्हें यह पूछने के लिए फोन किया कि उन्होंने पिछली रात कहाँ बिताई थी, यानी उनके बयान के अनुसार, 8 दिसंबर, 2006 की रात पति और पत्नी एक-दूसरे से नहीं मिलेथे। हम यह भी नोट करते हैं कि उन्होंने विचारण न्यायालय में स्वीकार किया कि गाँव कटली में घर दो-मंजिला था, जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता वहाँ पूरी रात उनकी जानकारी के बिना ठहरी हो सकती थी। गाँव नन्द में रहने वाले डॉ. संदीश गुलेरिया (पीडब्लू-2) ने भी कहा कि वे 04:00 बजे से 06:00 बजे तक सो रहे थे और 06:00 बजे के बाद अपीलकर्ता को नहीं देखा।

16. चिकित्सीय साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि कथित गला घोंटने के समय और चिकित्सीय परीक्षण के बीच महत्वपूर्ण समयांतराल था, जिसमें मृत्यु से पहले लगभग दो घंटे और परीक्षण से पहले लगभग आठ घंटे बीते। यह विस्तारित समयरेखा यह स्पष्ट करती है कि यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि घातक चोटें कब और कैसे हुईं। अन्य शब्दों में, इस समयांतराल के दौरान अनेक घटनाएँ घट सकती थीं, और अपीलकर्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों को बच्चे तक पहुँच प्राप्त हो सकती थी। हमारे विचार में, यह मध्यवर्ती अवधि अभियोजन की उस क्षमता को कमजोर करती है जिससे वह अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की ओर अनवरत घटनाओं की शृंखला स्थापित कर सके।

17. कथित हत्या के हथियार की प्राप्ति और उसका परीक्षण भी समान रूप से संदिग्ध है। अभियोजन का दावा है कि बच्चे की *हत्या* में प्रयुक्त हरा दुपट्टा (ईएक्स.पी 2) अपीलकर्ता से पूछताछ के दौरान कृष्ण लाल (पीडब्लू-3) और भगवती देवी (पीडब्लू-4) की उपस्थिति में बरामद किया गया। विचारण न्यायालय ने यह नोट किया कि यह एक सामान्य रूप से उपलब्ध दुपट्टा है, और अपीलकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने न्यायिक बयान में इसे प्रस्तुत करने से कड़ा इंकार किया है।

18. इसके अतिरिक्त, वह दुपट्टा डॉ. सुनीता सूद (पीडब्ल्यू-10), जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, को कभी दिखाया ही नहीं गया। इससे साक्ष्य की श्रृंखला में एक मूलभूत कमी उत्पन्न हो जाती है। यह तो स्पष्ट है कि मृत्यु के कारण का निर्धारण करने वाले डॉक्टर को यह अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए था कि वह यह मूल्यांकन कर सकें कि कथित हत्या का हथियार मृतक बच्चे पर पाए गए चोट-चिह्नों के साथ संगत है या नहीं।

19. कथित हथियार के संबंध में हम यह भी ध्यान देते हैं कि यद्यपि फोरेंसिक जांच में दुपट्टे पर रक्त के धब्बे और मानव त्वचा के *उतक* पाए जाने की बात कही गई है,

परंतु ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह स्थापित करे कि ये *सामग्री* स्वयं मृतक बच्चे की ही थी। अतः इन पदार्थों का दुपट्टे पर पाया जाना अपराध से उसे निश्चित रूप से जोड़ नहीं सकता। सामान्य उपयोग की वस्त्र सामग्री पर दैनिक उपयोग के कारण विभिन्न जैविक अवशेष पाए *जाना असामान्य नहीं है, और* विशिष्ट पहचान के अभाव में ऐसा साक्ष्य अत्यंत संदिग्ध तथा अस्पष्ट ही माना जा सकता है।यह निष्कर्ष भी कि मृत्यु का कारण "गला घोंटे जाने से हो सकता है" मात्र एक अनुमानात्मक राय है।

20. हमें यह भी बताना ज़रूरी लगता है कि अगर अपीलकर्ता ने सच में अपने बच्चे को मारा था, तो उसके बाद के व्यवहार को अपराध के साथ जोड़ना मुश्किल है। जुर्म छिपाने या भागने की कोशिश करने के बजाय, वह बच्चे के लिए मेडिकल मदद लेने नंद गांव गई। खास तौर पर, वह बच्चे को अपने किराएदार, डॉ. संदेश गुलेरिया (पीडब्लू-2) के पास ले गई। लॉजिकली, ऐसा व्यवहार अपराध के बजाय बेगुनाही के ज़्यादा करीब है। कम से कम, यह अभियोजन पक्ष की कहानी में एक महत्वपूर्ण असंगति दर्शाता है। यह जोड़ना मुश्किल है कि अपीलकर्ता इतनी बेरहम थी कि उसने अपने ही बच्चे का गला घोंट दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उस बच्चे के लिए तुरंत मेडिकल मदद मांगी।

21. यह न्यायालय बार-बार यह प्रतिपादित कर चुका है कि अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता स्थापित करने में उद्देश्य की प्रबलता अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि मात्र दुर्बल अथवा अनुपस्थित उद्देश्य अपने-आप में अभियुक्त के अभियोजन से विमुक्ति का आधार नहीं बन सकता, यदि अन्य परिस्थितियाँ अपराध की ओर निर्विवाद रूप से संकेत करने वाली पूर्ण श्रृंखला स्थापित करती हों, फिर भी ऐसा दुर्बल या अनुपस्थित उद्देश्य अभियुक्त के पक्ष में महत्वपूर्ण रूप *से प्रतिकूल संदेह* उत्पन्न करता है। इस संबंध में, हम **अनवर अली और अन्र बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**[11] में इस न्यायालय के हाल के फैसले से एक प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

> "9. अब जहां तक आरोपी की तरफ से यह दलील है कि इस मामले में अभियोजन मकसद साबित करने में नाकाम रहा है और इसलिए आरोपी बरी होने का हकदार है, यह सच है कि मकसद साबित न कर पाना अभियोजन के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यह भी उतना ही सत्य है– जैसा कि इस न्यायालय ने सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य, 1995 सुंप्प(1) एससीसी 80 में प्रतिपादित किया है–कि यदि उद्देश्य सिद्ध

हो जाए तो वह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है, परंतु उसके अभाव में भी अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इसी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु, साथ ही साथ, जैसा कि इस न्यायालय ने बाबू (सुपरा)[12] के मामले में अवलोकित किया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में उद्देश्य का अभाव अभियुक्त के पक्ष में एक ऐसा तत्व है जिसका समुचित महत्व होता है और जो उसके हित में संतुलन को झुका सकता है....."

22. अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के लिए अपने ही बच्चे की हत्या करने का कोई ठोस मकसद स्थापित करने में विफल रहा है। यह आरोप कि अपीलकर्ता ने अपने बच्चे की हत्या इसलिए की क्योंकि उसका पति हाल ही में दिवंगत अपने पिता के अंतिम संस्कार हेतु ग्राम कटली गया था, सर्वथा तर्कहीन प्रतीत होता है, विशेषकर जब यह तथ्य स्वयं अभियोजनके अभिलेखों से परिलक्षित है कि अपीलकर्ता स्वयं अपने पति तथा शिशु के साथ 8 दिसम्बर, 2006 को ग्राम कटली गई थी। इसके अतिरिक्त, इतना चरम एवं अमानवीय कृत्य एक शिशु की माता की स्वाभाविक मातृत्व-सुलभ प्रवृत्तियों के पूर्णतः विपरीत है।

23. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता का अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। कथित अदालती कार्यवाही के बाहर दिए गए स्वीकारोक्ति बयान गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी ऐसी पूर्ण और अविच्छिन्न श्रृंखला स्थापित नहीं करते, जो अपीलकर्ता के दोषी होने की ओर निर्णायक रूप से संकेत करती हो।

24. उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ता का दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ता को आरोपित अपराध से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता पूर्व में ही जमानत पर थी, अतः उसे उसके जमानती बांडों से मुक्त किया जाए।

मामले का परिणामः अपील स्वीकृत।

[†]मुख्य बिंदु तैयार किए गए: दिव्या पांडे

1 संक्षेप में, 'आईपीसी.'

2 2012 आईएनएससी 209

3 2011 आईएनएससी 415

4 2011आईएनएससी 773

5 2012आईएनएससी 296

6 2022 आईएनएससी 629

7 संक्षेप में,दंड प्रक्रिया संहिता

8 2024 आई.एन. एस. सी 488

9 1952 आईएनएससी 41

10 1984 आईएनएससी 121

11 2020 आईएनएससी 563

12 बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एससीसी 189

अनुवादक: अभिषेक कपूर